न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 07/2022

किस्म :– अपील

दायर दिनांक : 21.10.2022

निर्णय दिनांकः 13.05.2026

अनवान

1– सुखीबाई पुत्री गणेश जाति जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

2– शायरीबाई पुत्री गणेश पत्नि मोहन जाति जाट, निवासी जवासिया, हाल निवासी– धुलेडा, (भीलवाड़ा), तहसील रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

अपीलांट

बनाम

1–ग्राम पंचायत जवासिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जवासिया, तहसील रेलमगरा,

2–छोगालाल पुत्र गणेश जाति जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा,

3–गोवर्धनलाल पुत्र गणेश दत्तक पुत्र लेहरू जाति जाट, निवासी जवासिया,

4–शोभालाल पुत्र गणेश जाति जाट दत्तक पुत्र रामलाल जाट, निवासी जवासिया,

5–लीलादेवी पत्नि मुकेश जाति जाट, निवासी जवासिया,तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

रेस्पोडेटगण

अपील विरूद्ध ग्राम पंचायत जवासिया, नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 26.09.2000

उपस्थित– अपीलांट अधिवक्ता– रोशनलाल साहु
रेस्पोडेट अधिवक्ता– नवलसिंह राणावत

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जवासिया पटवार हल्का जवासिया की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 10 में आराजी संख्या 119 रकबा 0.0809 किस्म बंजर, खाता संख्या 9 में आराजी संख्या 120 रकबा 0.0486 हेक्टेयर किस्म आ.चाह, खाता संख्या 263 में आराजी संख्या 134 रकबा 0.0324 किस्म आ. चाह, खाता संख्या 20 में आराजी संख्या 27 रकबा 0.1052 हेक्टेयर किस्म आ. चाह, खाता संख्या 21 में आराजी संख्या 136 रकबा 0.0243 हेक्टेयर किस्म आ.चाह, खाता संख्या 153 में आराजी संख्या 372 रकबा 0.0243 हेक्टेयर किस्म आ.चाह, खाता संख्या 84 में आराजी संख्या 73 रकबा 0.405 हेक्टेयर किस्म आ.चाह, खाता संख्या 19 में आराजी संख्या 597 रकबा 0.0162 हेक्टेयर किस्म आ.चाह एवं आराजी संख्या 598 रकबा 01 बिस्वा किस्म आराजी चाह भूमियाँ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। यह कि राजस्व ग्राम जवासिया पटवार हल्का जवासिया की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 47 में कृषि आराजी संख्या 186 रकबा 0.2914, आराजी संख्या 591 रकबा 0.0486, आराजी संख्या 74 रकबा 0.2833, आराजी संख्या 801/6 रकबा 0.4209, आराजी संख्या 812/7 रकबा 0.0809, आराजी संख्या 814/72 रकबा 0.2185, आराजी संख्या 821/76 रकबा 0.0809, आराजी संख्या 833/78 रकबा 0.0809, आराजी

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

संख्या 949/182 रकबा 0.1619, आराजी संख्या 950/182 रकबा 0.1457 कुल किता 10 दस कुल रकबा 1.8130 हेक्टेयर भूमियाँ एवं खाता संख्या 260 में कृषि आराजी संख्या 61 रकबा 0.2509 व आराजी संख्या 70 रकबा 0.5747 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8256 हेक्टेयर भूमी स्थित है जिसमें उक्त भूमियाँ खाता संख्या 47 की सम्पूर्ण भुमिया एवं खाता संख्या 260 में अंकित 1/2 हिस्से की भूमियां अपीलांट के पिता स्वर्गीय गणेश पिता दल्ला के नाम पर उनके हक, अधिकार की होने से उनके विरासत में अपीलान्ट उनकी जायन्दा पुत्रीया होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के समान उन्है भी हक, अधिकार प्राप्त है प्रमाण में उक्त भूमिया की सवत 2056 से 2059 व सवत 2060 तथा वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत है। यह कि अपील के कलम संख्या 01 एवं 02 में अंकित भूमियों में अपीलांट के पिता गणेश पिता दल्ला के नाम पर मौजूद थी। जिसके सम्बन्ध में संवत 2056 से संवत 2059 की तत्कालीन जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है तथा उसके अनुसार उक्त भूमियाँ गणेश पिता दल्ला जाट को मृत्यु के उपरान्त विरासत के आधार पर निर्मित नामान्तरकरण संख्या 312 के जरिये उक्त भूमियाँ अपीलांट के पिता का विरासत अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को छोगालाल पुत्र गणेश के नाम पर ही दर्ज कर ली गई। जबकि विरासत के नामान्तरकरण में मृतक के सभी पुत्र–पुत्रियों के नाम समान हिस्से में विरासत दर्ज किया जाना विधि अनुसार अति आवश्यक है जो दर्ज नहीं कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ग्राम पंचायत जवानिया द्वारा अपनी मनमर्जी से अवैधानिक तरीके अपना कर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 को भी अन्यत्र गोद चले जाना बताकर पुत्रों के अलावा अपीलांट जो मृतक की पुत्रीया है का जीवित व मौजूद होने का तथ्य छिपाकर उक्त सारी भूमियाँ ग्राम पंचायत से मिली भगत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपने अकेले के नाम पर विरासत से दर्ज करवायी जबकि उक्त भूमियों में अपीलांट का भी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के बराबर समान हिस्सा पिता की सम्पत्तियों में होता है इसके बावजूद भी अपीलांट का जीवित व मौजूद होने का तथ्य छिपाकर मृतक गणेश पिता दल्ला जी वादग्रस्त समस्त भूमिया का विरासत का नामान्तरणकरण अकेले रेस्पाडेन्ट संख्या 02 के नाम पर निर्णित कर ग्राम पंचायत जवासिया द्वारा विधि एंव तत्थ की भारी भुल की है जिससे ग्राम पंचायत जवासिया द्वारा निर्णीत नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 26.09.2000 निरस्त व अप्राप्त होने योग्य होकर मृतक गणेश पिता दल्ला की संपत्तियों में विरासत के आधार पर अपीलान्ट संख्या 01 व 02 का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 02 के समान बराबर–बराबर हिस्सा विरासत से दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है तथा उक्त अनुसार नामान्तरकरण संख्या 312 निरस्त होने योग्य है जिसके अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील विरुद्ध रेस्पोन्डेन्ट प्रस्तुत की जा रही है, यह कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 03 व 04 को ग्राम पंचायत ने गलत तरीके से गौद चले जाना बताया है जबकि गोद सम्बन्धी कोई भी पंजीकृत गोदनामा पंचायत ने जाहिर नहीं किया है जिससे उक्त मामले में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 03 व 04 भी आवश्यक व प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें भी संभावित आपत्तियों के निराकरण हेतु रेस्पोन्डेन्ट पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा रहा है। यह कि उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत जवासिया द्वारा निर्मित किये जाने से उनके विरुद्ध अपील की सुनवाई की अधिकारिता माननीय आप न्यायालय को प्राप्त है जिससे उक्त अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत है। यह कि उक्त नामान्तरकरण दिनांक 26.09.2000 को निर्मित हुआ जिसकी गलत इन्द्राज की जानकारी जब अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त की तब जानकारी मिली इससे पूर्व उक्त गलत इन्द्राज की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी तथा नामान्तरकरण की प्रति व नक्शे दिनांक 04.05.2022 को प्राप्त होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें जो देरी हुई उसे क्षमा फरमाए जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस दरम्यान अपील कुछ समय अस्वस्थ्य हो जाने से अपील पेश नहीं कर सके अब स्वस्थ्य होते ही अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत है। यह कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को सही इन्द्राज किये जाने बाबत आज से 10 दिन पूर्व कहा गया तो उनके द्वारा इंकार कर देने से अपील प्रस्तुत करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत जवासीया द्वारा निर्णित नामान्तरण संख्या 312 दिनांक 26.09.2000 को निरस्त व अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट का मृतक गणेश पिता दल्ला की वादग्रस्त अपील में वर्णित समस्त भूमियों में विधिक वारिसान के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के समान दोनों अपीलान्ट/प्रार्थीगण का पृथक–पृथक हिस्सा दर्ज फरमाया जाने के आदेश प्रदान कराया जावे । उक्त अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेट संख्या 01,03,04 बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। रेस्पोडेटगण संख्या 02 व 05 की और से जरिये अधिवक्ता के कोई जवाब प्रस्तुत नही किया।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अपीलांट के पिता स्व0 गणेश पिता दल्ला के नाम पर उनके हक, अधिकार की होने से उनके विरासत में अपीलान्ट उनकी जायन्दा पुत्रीया होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के समान उन्है भी हक, अधिकार प्राप्त है अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार जाकर ग्राम जवासीया की नामान्तकरण संख्या 312 दिनांक 26.09.2000 को निरस्त किया जाकर स्व0 गणेश पिता दल्ला जाट के विधिक वारिसान कि जांच कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जावे। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा